कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय तल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल

(ए–114/रासूआ/52/रीवा/2006)

श्री वीरेन्द्र शर्मा — अपीलकर्ता

विशेष प्रतिनिधि,
दैनिक नईदुनिया,
सीनियर एम.आई.जी. 3/10/161,
नेहरू नगर, रीवा

विरूद्ध

अधीक्षण यंत्री, — **प्रथम अपीलीय अधिकारी**

मुख्य अभियंता,
गंगा कछार जल संसाधन विभाग,
कोठी कम्पाउण्ड,रीवा

आदेश

(दिनांक 15.06.06)

यह अपील श्री वीरेन्द्र शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता आवेदक ने एक आवेदन लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता गंगाकछार, रीवा को दिनांक 19.12.05 को प्रस्तुत किया था । इस आवेदन पत्र के साथ उन्होने जो प्रारूप लगाया था उसमें दिनांक 01.04.03 से आवेदन के निराकरण होने के दिनांक तक की जानकारी मुख्य अभियन्ता कार्यालय के अधीनस्थ सभी संभागो के कार्यपालन यंत्रियों को माह वार दिये गये साख पत्र की जानकारी मांगी गई थी । लोक सूचना अधिकारी ने तुरंत ही सभी संभागों को दिनांक 20.12.06 को पत्र लिखकर अपीलकर्ता के आवेदन को अन्तरित किया था क्योंकि, जो जानकारी मांगी गयी थी, वह संभागों से सम्बन्धित थी। इसकी सूचना उसी दिनांक को अपीलकर्ता को दे दी गयी थी ।

2. अपीलकर्ता ने आवेदन अन्तरण को चुनौती देकर एक अपील मुख्य अभियन्ता, गंगाकछार रीवा के कार्यलय में दिनांक 19.01.06 को प्रस्तुत की थी । अपीलीय अधिकारी ने अपीलकर्ता की अपील को दिनांक 27.01.06 को अमान्य किया और इसकी सूचना अपीलकर्ता को उसी दिनांक को पत्र के द्वारा दी । अपीलीय अधिकारी का यह

कहना है कि मुख्य अभियन्ता कार्यालय में अपीलकर्ता द्वारा प्रेषित प्रपत्र या उससे मिलते–जुलते प्रपत्र में कोई जानकारी संधारित नहीं की जाती है । अतः सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(f) व 2(j) में वर्णित परिभाषाओं के परिप्रेक्ष्य में अपीलकर्ता द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है ।

3. यह प्रकरण सुनवाई के लिये दिनांक 13.जून 06 को निर्धारित किया गया था और अपीलकर्ता को उसकी सूचना 02 मई 06 को भेजी गई थी । अपीलकर्ता सुनवाई के लिये उपस्थित नहीं हुए । श्री के0एन0अग्रवाल, मुख्य अभियन्ता एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी उपस्थित हुये। उनको सुना गया । उनका यह कहना है कि अपीलकर्ता द्वारा जिस प्रारूप में जानकारी मांगी है उस प्रारूप में उनके कार्यालय में जानकारी संधारित नहीं की जाती है । इसलिये इस जानकारी को देना सम्भव नहीं है । अपीलीय अधिकारी का यह भी कहना है कि अधिनियम की धारा 2 (h) के अन्तर्गत जो सूचना की परिभाषा दी गई है उसमें अपीलकर्ता आवेदक सम्बन्धित विषय में अभिलेख देखना चाहते हैं, तो देख सकते हैं और यदि शिकायतकर्ता अभिलेख की छायाप्रति चाहते हैं तो शुल्क जमाकर अभिलेख की प्रति प्राप्त कर सकते हैं ।

4. मैं अपीलीय अधिकारी के मत से सहमत हूँ । सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना की परिभाषा धारा 2 (f) में दी गई है । इस परिभाषा के अनुसार जिस रूप में जानकारी उपलब्ध रहती वही किसी आवेदक को दी जा सकती है। अपीलकर्ता आवेदक ने जो प्रारूप दिया है उसमें यदि जानकारी संधारित नहीं की जाती है तो जानकारी नहीं दी जा सकती ।

5. अतः यह अपील निरस्त की जाती है।

(टी.एन.श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
15 जून 2006